

राजस्थान सरकार

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर घड़साना
पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस. कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत

600


2025/273
OCMS

आदेश

दिनांक 17.09.25

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 900 भू-अभिलेख निरीक्षक ~~म.म. घड़साना~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) घड़साना/रावला नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 800-B तहसील घड़साना/रावला जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्यत् में खाता सं० 26 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
1.	800-B	26	मिन्दर रिंटे S10 गुरलपन रिंटे रि. पूर्ण जाति जाट सा. 3E स्वामेज राष्ट्रि S B B (ADB) पु. म. घड़साना	मिन्दर रिंटे S10 गुरलपन रिंटे रि. पूर्ण जाति जाट रि. सा. 3E स्वामेज राष्ट्रि S B B (ADB) पु. म. घड़साना


सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

क्रमांक/रीडर/ग्रा0से0शि0./2025/601-03
प्रतिलिपि :-

दिनांक 17.09.2025

1. तहसीलदार घड़साना/रावला को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री मिन्दर रिंटे S10 गुरलपन रिंटे को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना